

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: एच0के0 कौशिक)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 41/2015

संस्थित दिनांक-10/08/2010

फाईलिंग नंबर-230303004012010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रु द्ध

डब्लू उर्फ राजपाल पुत्र सूरज उर्फ सूर्य प्रभाकर

राजपूत उम्र 35 साल निवासी पुरा बडेरा थाना

अमायन जिला भिण्ड (म0प्र0)

----- अभियुक्त

राज्य द्वारा : विशेष लोक अभियोजक श्री भगवान सिंह बघेल

अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल द्वारा : अधिवक्ता श्री बी.एस.यादव

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 27/04/2018 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल के विरुद्ध धारा 399, 402 भा.दं.सं., सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 05/05/2010 के 20:10 बजे कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अन्य चार साथियों के साथ डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच व्यक्तियों में एक वह स्वयं शामिल था।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 05/05/2010 के 20:10 बजे कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं सहअभियुक्तगण प्रदीप उर्फ नाना, बंटू उर्फ बंटाराम, पिकी उर्फ रामनारायण एवं सतेन्द्र उर्फ सत्ते को निर्णय दिनांक- 06/07/2016 के अनुसार दोषमुक्त किया गया है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05/05/2010 को शाम करीब 06 : 30 बजे निरीक्षक जे0 आर0 जुमनानी को थाना प्रभारी मौ रहते हुए जरिये मुखबिर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मौ के शान्ति लाल जैन की मिल व आदत की गद्दी पर रकम आयी है, और पांच सशस्त्र बदमाश कोमल सिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड (मध्य प्रदेश)

पर आपस में मिलकर शांतिलाल जैन के यहां डकैती डालने की योजना की तैयारी के साथ छिपे हुए हैं। उक्त सूचना को टी.आई. जुमनानी ने रोजनामचा सान्हा क्र०-147 पर दर्ज करते हुए आरक्षक शिवनारायण सिंह को थाने व एस.ए.एफ. का पुलिस बल तलब करने हेतु रोजनामचा सान्हा क्र०-148 पर उसकी रवानगी दर्ज करते हुए भेजा और उक्त आरक्षक एस.ए.एफ. एवं थाने के पुलिस बल तथा दो पंच साक्षी करु उर्फ प्रहलाद यादव व विजय सिंह यादव निवासी लोहरपुरा को लेकर आया फिर शाम सात बजे लाये गये पुलिस बल की आमद रोजनामचा सान्हा क्र०-149 पर दर्ज की, प्राप्त सूचना से पुलिसबल व साक्षियों को अवगत कराया गया। फिर शाम 7:30 बजे टी.आई. जे.आर. जुमनानी व पुलिस तथा एस.ए.एफ. का बल और साक्षियों को पुलिस वाहन मय आर्म्स एम्युनेशन के लेकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु रोजनामचा सान्हा क्र.-150 पर रवानगी दर्ज करते हुए किटी रोड तरफ गये तथा हरिजन छात्रावास प्रांगण में समस्त फोर्स व गवाहन को इकट्ठा कर पुनः मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए दो पुलिस पार्टियां बनायी गयीं जिनमें पार्टी क्र०-1 का नेतृत्व स्वयं टी.आई. जे.आर. जुमनानी ने किया, जिसके साथ ए.एस.आई. मुन्नीलाल, प्र. आर. तिलकसिंह, आरक्षक शिवनारायण सिंह, सुनील शर्मा, गुरुदास सिंह, दीपक सिंह थे और पार्टी क्र०-2 का नेतृत्व ए.एस.आई. ए.एम. सिददीकी को सौंपा जिसकी टीम में ए.एस.आई. रामशरन सिंह चौहान, प्र.आर. जसराम सिंह, ए.पी.सी. बाबूराम, आरक्षक सुरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र भास्कर, जितेन्द्र सिंह थे। पार्टी क्र०-2 ने कब्रिस्तान की तरफ से, कोमल सिंह परिहार के मकान के पास जाकर एम्बुस लगाया और मोबाइल फोन से सूचना मिलने पर तथा टी.आई. की दविश देने के लिए निर्देश प्राप्त होन पर दविश दी और पार्टी क्र०-1 पैट्रोल पंप की तरफ से गये और घेरा बंदी करके बदमाशों की वार्तालाप को सुना फिर उन्हें ललकारते हुए घेराबंदी की तो, तीन बदमाश मौके पर पकड़े गये दो बदमाश रात होने से अंधेरे का लाभ लेकर मोटरसाईकिल से भागने में सफल हो गये। पकड़े गये तीनों बदमाश से पूछताछ करने पर उनके नाम प्रदीप उर्फ नाना, रामनारायण उर्फ पिकी, बंटू उर्फ बंटा बताये गये, भागने वालों के नाम सतेन्द्र एवं डब्लू उर्फ राजपाल बताये ।

4. मौके पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रदीप उर्फ नाना से 12 बोर का लोडेड कट्टा व दो जिंदा कारतूस, रामनारायण उर्फ पिकी से 315 बोर का देशी लोडेड कट्टा व दो जिंदा कारतूस व बजाज सी.टी.100 मोटरसाईकिल और बंटू उर्फ बंटा से लोहे का सरिया जब्त किया तथा उन्हें मौके पर जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही करके थाना लाकर उनके व भागने में सफल रहे अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र.-32/2010 धारा-399, 400, 402 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विचारण में सतेन्द्र उर्फ सत्ते से एक मोटरसाईकिल की और जब्ती हुई तथा मामले की विवेचना करते हुए संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 24.01.2017 को अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल के विरुद्ध धारा 399, 402 भा.दं.सं. सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.डी.

पी.के. एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा.फौ. के तहत अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल ने दिनांक 05/05/2010 को रात्रि के समय 08:10 बजे किटी रोड भिण्ड स्थित कोमल परिहार के मकान के पिछवाड़े में एकत्र होकर संयुक्त तौर पर डकैती के अभ्यस्त रहते हुए डकैती डालने के प्रयोजन से आपस में मिलकर पांच व्यक्तियों का समूह तैयार कर डकैती की योजना बनाई ?

:- निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

7. अभियोजन की ओर से उसके पक्ष समर्थन में कुल 15 साक्षीगण के कथन कराये गये हैं। जे0आर0 जुमनानी अ.सा.-13 का कहना है कि दिनांक 05.05.10 को थाना प्रभारी मौ रहते हुए उसे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि किटी रोड पर कमलसिंह परिहार के मकान के पीछे पांच सशस्त बदमाश शांतिलाल जैन की आदत की दुकान पर डकैती डालने की तैयारी में छिपे हैं। साक्षी के कथन अनुसार उक्त सूचना की तस्दीक हेतु स्वतंत्र साक्षीगण करु उर्फ प्रहलाद सिंह यादव एवं विजय सिंह यादव निवासी लोहारपुरा मौ, एस.ए.एफ. व अन्य बल को तलब कर दो पार्टियां बनाकर कोमलसिंह परिहार के मकान की घेराबंदी की। पार्टी नंबर-1 में उसके अतिरिक्त प्रधान आरक्षकगण मुन्नीलाल, तिलकसिंह तथा आरक्षकगण शिवनारायण सिंह, सुनील शर्मा, गुरुदत्त सिंह व दीपक सिंह थे व पार्टी नंबर-2 के प्रभारी ए.एम.सिद्धकी को मरघट की तरफ से मय फोर्स के साथ घेराबंदी के लिये भेजा। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसकी पार्टी ने पैदल-पैदल जाकर कमलसिंह के मकान के सामने छिपकर देखा कि दो मोटर सायकिलों पर पांच बदमाश बातें कर रहे थे कि शांतिलाल जैन के यहां आज काफी सरसों आयी है और उसने काफी पैसा बैंक से निकाला है, 8:00 बजे के बाद लाईट चले जाने पर लूट लेंगे।

8. जे.आर. जुमनानी अ.सा.-13 का यह भी कहना है कि बदमाशों द्वारा डकैती डालने का पूर्णतः इत्मीनान होने पर पार्टी नंबर-2 को मोबाइल से घेराबंदी करने का निर्देश देकर उसने स्वयं फोर्स के साथ बदमाशों को ललकारा तो बदमाश पुलिस की आमद पर मोटर सायकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे जिस पर उन्होंने एक मोटर सायकिल पर बैठे हुए तीन बदमाश पिकी उर्फ रामनाथ को 315 बोर के लोडेड कट्टे व दो जिंदा कारतूस सहित, प्रदीप यादव को 12 बोर के लोडेड कट्टे व दो अन्य जीवित कारतूस सहित व तीसरे बदमाश बंटा उर्फ बंटू यादव को लोहे की रोड के साथ गिरफ्तार किया गया। साक्षी का यह भी कहना है कि भागे गये बदमाशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने

सतेन्द्र राजपूत पुत्र हरगोविन्द राजपूत तथा डब्लू उर्फ राजपाल का नाम साक्षीगण के समक्ष बताया था। मौके पर तीनों प्रदीप यादव, बंटू यादव व रामनारायण उर्फ पिकी को प्रदर्श पी-6 लगायत 8 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार कर उनसे प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-11 के जब्ती अनुसार आधिपत्य की वस्तुएँ जब्त की थी तथा घटना के संबंध में थाने पर अपराध क्रमांक 32/10 अंतर्गत धारा 393, 400, 402 भा.द.सं. धारा 25 सहपठित धारा 27 आयुध अधिनियम तथा धारा 11 सहपठित धारा 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. एम.एल. मौर्य अ.सा.-3 द्वारा घटना दिनांक 05.05.10 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होना बताते हुए मुख्य परीक्षण में निरीक्षक जे. आर. जुमनानी अ.सा.-13 के साथ मौके पर पहुंचने, तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनसे जब्ती करने तथा भागने वाले बदमाशों के नाम सतेन्द्र व डब्लू बताये जाने के कथन के संबंध में पुष्टि की गयी है तथा घटना के संबंध में थाना मौ में पदस्थ तत्कालीन आरक्षक दीपक सिंह तोमर अ.सा.-14 तथा थाना मौ की पुलिस चौकी रतवा में पदस्थ रहे अनीश मोहम्मद सिद्दकी अ.सा.-15 द्वारा भी जे.आर. जुमनानी के कथन का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी-18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी फरियादी के कथन की पुष्टि होना पायी जाती है। परिणामस्वरूप यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल व अन्य चार के विरुद्ध घटना दिनांक 05.05.10 को थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 के अनुसार अपराध क्रमांक 32/10 पंजीबद्ध किया गया है।

10. एम.एल. मौर्य अ.सा.-3, जे.आर. जुमनानी अ.सा.-13, तथा अनीश मोहम्मद सिद्दकी अ.सा.-15 ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि मौके पर गिरफ्तार तीन अभियुक्तगण ने पूछे जाने पर भागने वाले साथियों में सतेन्द्र राजपूत के साथ-साथ अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल का नाम भी बताया था, किन्तु प्रकरण में अवलोकनीय है कि स्वयं अभियोजन पक्ष के अनुसार निरीक्षक जे. आर. जुमनानी अ.सा.-13 के साथ पार्टी में रहे तत्कालीन आरक्षक दीपक सिंह तोमर अ.सा.-14 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष पकड़े गये बदमाशों ने निरीक्षक को भागने वालों के नाम नहीं बताये थे। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर तात्त्विक विरोध परिलक्षित होता है। दूसरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे अनीश मोहम्मद सिद्दकी अ.सा.-15 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में स्वीकार किया है कि उसने भागने वालों में कौन व्यक्ति थे वह नहीं बता सकता। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल की मौके पर उपस्थिति शंकास्पद हो जाती है।

11. अनुसंधानकर्ता रामशरण सिंह चौहान अ.सा.-12 का कहना है कि उसने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर जाकर प्रदर्श पी-14 का नक्शामौका बनाया था तथा साक्षीगण करू उर्फ प्रहलाद सिंह, विजय सिंह यादव एवं पुलिस साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे जबकि प्रहलाद सिंह अ.सा.-6 एवं विजय सिंह अ.सा.-7 द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन

नहीं करते हुए उनके समक्ष प्रश्नगत कार्यवाही होने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त दोनों साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर उनसे प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु इसके उपरांत भी उनके कथन से अभियोजन के मामले को कोई समर्थन प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त साक्षीगण द्वारा पुलिस को मामले में प्रदर्श पी-5 और प्रदर्श पी-12 अनुसार कथन देने से भी इंकार किया है। फलतः अनुसंधानकर्ता रामशरण सिंह चौहान अ.सा.-12 एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीगण प्रहलाद सिंह अ.सा.-6 एवं विजय सिंह अ.सा.-7 के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने से अभियोजन का मामला अत्यंत दुर्बल हो जाता है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियुक्त सतेन्द्रसिंह के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत लिये गये मैमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 में अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल का मौके पर होने का उल्लेख है किन्तु उक्त सूचना एवं मैमोरेण्डम को तैयार करने वाले निरीक्षक जे.आर. जुमनानी अ.सा.-13 द्वारा कथन में उसे प्रमाणित नहीं किया गया है तथा सूचना मैमोरेण्डम के स्वतंत्र साक्षीगण रघुवीर सिंह अ.सा.-1 एवं देवेन्द्रसिंह अ.सा.-2 द्वारा भी उनके समक्ष सह-अभियुक्त सतेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी उक्त सूचना मैमोरेण्डम को प्रमाणित नहीं किया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना में कथित रूप से शामिल रहे सतेन्द्र सिंह द्वारा प्रदर्श पी-1 के सूचना मैमोरेण्डम में अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल को घटना के समय मौके पर होना बताया गया है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन पक्ष उसके मामले को अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल को धारा-399, 402 भा.दं.सं. सहपठित धारा-11/13 मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
14. प्रकरण में जब्तशुदा मुद्देमाल 315 बोर एवं 12 बोर के कट्टा एवं समान बोर के तीन-तीन कारतूस उचित निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण की जावे।
15. प्रकरण में अभियुक्त सतेन्द्र से जप्तशुदा बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाईकिल बजाज प्लेटीना एवं अभियुक्त पिकी से जब्तशुदा बिना नंबर की काले रंग की मोटर साईकिल बजाज सी.टी.100 उनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अपील अवधि पश्चात् संबंधित को लौटाई जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण की जावे।
16. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण की जावे।

17. प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान अभियुक्त डब्लू उर्फ राजपाल द्वारा बितायी गयी निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण-पत्र तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

18. निर्णय की एक प्रतिलिपि दं.प्र.सं. की धारा 365 के प्रावधान अनुसार अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर प्रेषित की जावे।

दिनांक: 27/04/2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / -

(एच.के. कौशिक)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / -

(एच.के. कौशिक)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)